प्रेस नोट **दिनांक 06.08.2026**

दहेज हत्या में वांछित 01अभियुक्त व 01अभियुक्ता की गिरफ्तारी-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ व क्षेत्राधिकारी मधुबन के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.08.2026 को देखभाल क्षेत्र व भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुण्डा सरीफपुर से एक बारगी दबिश देकर मु0अ0सं0 258/2026 धारा 115(2), 85, 80(2, 61(2), 351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1- राणा प्रताप पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र सिंह उम्र करीब 65 वर्ष 2- बिन्दू पत्नी राणा प्रताप उम्र करीब 70 वर्ष निवासीगण कुण्डासरीफपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को समय करीब 09.45 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया उक्त प्रकरण में एक नफर अभियुक्त मृतिका के पति की गिरफ्तारी पूर्व में ही की जा चुकी है।

नाम गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राणा प्रताप पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र सिंह उम्र करीब 65 वर्ष
2. बिन्दू पत्नी राणा प्रताप उम्र करीब 70 वर्ष निवासीगण कुण्डासरीफपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।

वाछिंत अभियुक्त-

1. रुमा सिंह (जेठानी)
2. आनन्द सिंह (जेठ)
3. नवनीत सिंह के मामा का लड़का रोहित सिंह निवासीगण कुण्डासरीफपुर थाना मधुबन जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

ग्राम कुण्डासरीफपुर थाना मधुबन जनपद मऊ(घर अभियुक्तगण)

समय 09.45 बजे सुबह

04 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व 01 नफर बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में कब्जे से चोरी की 04 टुल्लू मोटर चोर, 01 बण्डल केबल व 05 किग्रा कापर वायर बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व मे दिनांक 06.08.2026 को थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस व 72/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना रामपुर, मऊ से संबंधित अभियुक्तगण 1. राज यादव पुत्र रामप्रभाव यादव निवासी ग्राम बहादरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ 2. कृष्ण कान्त यादव पुत्र स्व0 विनोद यादव ग्राम हसनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ 3. पिन्टू यादव पुत्र राजेन्द्र यादव ग्राम जामडीह थाना घोसी जनपद मऊ हाल पता हसनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ 4. रवि किशन पुत्र वंशबहादुर ग्राम मकमेलपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 04 अदद इलेक्ट्रानिक मोटर, 01 बण्डल केबल 05 किग्रा कापर वायर को बरामद कर गिरफ्तार किया गया । तथा बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया व उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर चानान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राज यादव पुत्र रामप्रभाव यादव निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष
2. कृष्ण कान्त यादव पुत्र स्व० विनोद यादव ग्राम हसनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ उम्र करीब 18 वर्ष
3. पिन्टु यादव पुत्र राजेन्द्र यादव ग्राम जामडीह थाना घोसी जनपद मऊ हा। पता हसनपुर थाना रामपुर जनपद मऊ उम्र करीब 18 वर्ष
4. रवि किशन पुत्र वंशबहादुर ग्राम मकमेलपुर थाना मधुबन जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष तथा

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 61/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस
2. व 72/2026 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना रामपुर

बरामदगी

1. 04 अदद इलेक्ट्रिक मोटर
2. एक अदद बण्डल केबल तार

3. 05 किलो ग्राम कापर वायर

01 शतिर चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व 01 अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नितृत्व दिनांक 06.08.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नदवासराय रोड अण्डर पास से मु0अ0स0 121/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधि अभियुक्त अजय कुमार पुत्र सागर प्रसाद निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष के कब्जे से थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत अभियोग सं0-121/2026 धारा 303(2) बीएनएस में चोरी गयी मो० सा० रजि०न०- UP 50 BM 5727 एच.एफ. डीलक्स चेचिस नं0- MBLHAW020KGB01458 व एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एंव गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-337/2026 धारा 317 (2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्तन का नाम पता

1. अजय कुमार पुत्र सागर प्रसाद निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना घोसी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग

1. मु0अ0स0-337/26 धारा 3178(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धोसी जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल
2. 01 अदद अवैध तमंचा
3. 01 जिन्दा कारतूस।

जनपद मऊ पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानों की साइबर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए 02 पीड़ितों की कुल 34999/-(चौतिस हजार नौ सौ निन्यानवे) रुपये धनराशि वापस कराई गई –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त साइबर फ्रॉड़ की शिकायतों के आधार पर साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर पोर्टल पर तत्काल कार्रवाई की गई

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही का विवरण-

1. थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित विशाल मिश्रा निवासी हरिगाव मानिकपुर हड़हुआ का कुल 25000/- रुपये वापस कराया गया।
2. थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित तारिक पुत्र स्व0 सादुल्लाह निवासी इमामबाड़ा मोड डोमनपुरा का कुल धनराशि 9999/- रुपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 9000/- वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.08.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित/आवेदक अनूप कुमार बर्मा पुत्र बद्रीनाथ बर्मा निवासी प्यारेपुरा का फोन सैंमसंग गलैक्सी (कीमती लगभग-9000/- रुपये) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 18919/- वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री जितेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.08.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित/आवेदक अमित कुमार भारती पुत्र सुरेंद्र राम निवासी भगवानपुर थाना सरायलखंसी जनपद (कीमती लगभग- 18919/- रुपये) को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

" गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त सतीश सिंह उर्फ बबलू एवं उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा अपराध से अर्जित कीमत लगभग इक्यावन लाख मूल्य के तीन मकान धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क "

पुलिस अधीक्षक, जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में अपराध से अर्जित चल एवं अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर द्वारा प्रभावी विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मु0अ0सं0 498/2025 धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना सरायलखंसी, जनपद मऊ के गैंग लीडर सतीश सिंह उर्फ बबलू तथा गिरोह के सक्रिय सदस्य अवनीश सिंह उर्फ मिन्टू एवं मनीष सिंह उर्फ पिन्टू जो कि आपस में सगे भाई हैं के द्वारा संगठित आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित कर अपने एवं अपने परिवारीजनों के उपयोग हेतु मौजा जयसिंहपुर, परगना घोसी, तहसील सदर, जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या 667मि०, रकबा 5.068 हे०, आबादी श्रेणी 6(2) में एक दो मंजिला एवं दो एक-एक मंजिला कुल तीन मकानों का निर्माण कराया गया, जिनका कुल अनुमानित बाजार मूल्य ₹50,69,444.51 आंका गया।

प्रकरण में विस्तृत विवेचना, साक्ष्य संकलन, राजस्व अभिलेखों, भौतिक निरीक्षण, स्थानीय सत्यापन एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कुर्की की संस्तुति सहित आख्या जिला मजिस्ट्रेट, मऊ को प्रेषित की गयी। अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त माननीय जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा वाद संख्या 2122/2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202615510002122), सरकार बनाम सतीश सिंह उर्फ बबलू एवं अन्य में दिनांक 05.08.2026 को आदेश पारित करते हुए उक्त तीनों मकानों को धारा 14(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर नियमानुसार मुनादी, सूचना पट्ट स्थापना, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराते हुए कुर्की की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी तथा आदेशानुसार कुर्कशुदा सम्पत्तियों का प्रबन्ध एवं संरक्षण हेतु तहसीलदार सदर, जनपद मऊ को रिसीवर नियुक्त कर सम्पत्ति सुपुर्द की गयी।

नोट - जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध "अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर प्रहार" की नीति के अन्तर्गत भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावी एवं कठोर विधिक कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी।

आज दिनांक 06.08.2026 को जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्द्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा थाना कोपागंज का औचक निरीक्षण किया गया-

महोदय द्वारा थाना कार्यालय के त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, जनसुनवाई रजिस्टर, आदि का अवलोकन किया गया तथा अभिलेखों को ससमय अभिलेखित करने व गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, एचएस में त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान भ्रमण कर सीसीटीएनएस शाखा, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदीगृह, बैरक, भोजनालय, शस्त्रागार, शौचालय,थाना परिसर मे लगे कैमरो आदि का निरीक्षण किया गया तथा सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी से प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतपूर्वक सुनने तथा निस्तारण के बाद नियमित फीडबैक लेने हेतु निर्देश दिए गए। साथ ही साथ थाना परिसर में भ्रमण कर साफ-सफाई इत्यादि का निरीक्षण किया गया तथा साफ सफाई उच्च स्तर का बनाये रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोपागंज व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष कोपागंज श्री रोहन राकेश व अन्य पुलिस बल मौजूद रहे।

विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने के क्रम में आज दिनांक **06.08.2026** पुलिस अधीक्षक कार्यालय में,पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा समीक्षा गोष्ठी (अर्दली रूम) किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार व जनपद के समस्त सर्किल (नगर, घोसी मुहम्मदाबाद व मधुबन) के विवेचक उपस्थित रहे। इस दौरान महोदय द्वारा पेंडिंग विवचनाओं की गहन समीक्षा कर विवेचकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा विभिन्न बिन्दुओं क्रमशः भूमि विवाद, साम्प्रदायिक विवादों के चिन्हीकरण एवं कृत कार्यवाही, भूमि विवादों के चिन्हीकरण एवं कृत कार्यवाही, लम्बित विवेचनाओं, सीएस/एफआर, गैंगेस्टर के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जनशिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण, अपराध कार्य प्रणाली ब्यूरो की प्रगति, टाप 10/सक्रिय अपराधियों इत्यादि के सम्बन्ध में गहन समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही साथ महोदय द्वारा पूछताछ करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही साथ आगामी त्योहारों को लेकर शांति/सुरक्षा से विभिन्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गई तथा प्रत्येक छोटी-छोटी घटना को गम्भीरता से लेने तथा उसका निराकरण कराने, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए, धार्मिक स्थलों के आस-पास चेकिंग पार्टी निकाल कर सतर्क दृष्टि रखी जाय, संवेदनशील स्थलों तथा धार्मिक स्थलों के आस-पास नियमित रुप से पैदल गस्त किये जाय, दंगा नियन्त्रण उपकरणों को तैयारी की हालत में रखें जाय, संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकतानुसार विशेष नजर रखी जाय तथा जनता/जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार अच्छा बनायें रखें। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार समस्त सर्किल (नगर, घोसी, मुहम्मदाबाद व मधुबन) के क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह ,क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त मिश्रा, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह व संबंधित समस्त थाना प्रभारी सहित थाने के उपनिरीक्षक उपस्थित रहे ।